# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**अपील संख्या – 1819/2012/झुंझुनू**

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त–झुंझुनू। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सपन मार्केटिंग प्रोडेक्टस,
चिड़ावा, झुंझुनू। ....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री अमर सिंह – सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री जमील जई,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 06/01/2014**

**निर्णय**

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–झुंझुनू (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 3/आरवेट/झुंझुनू/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसायिक स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त झुन्झुनू द्वारा दिनांक 25.06.2010 को किया गया। सर्वेक्षण पर उपलब्ध माल का भौतिक सत्यापन करने पर रूपये 8,25,003/– का स्टॉक लेखा पुस्तकों में दर्ज माल से कम पाया गया। जिसके कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी पर उचन्ती बिक्री कर करापवंचन करने के अपराध में धारा 25, व 61 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.01.2011 को पारित करते हुए कर रूपये 41,250/– व धारा 61 के तहत शास्ती रूपये 82,500/– कुल मांग राशि रूपये 1,23,750/– आरोपित कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब को उचित मानते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि वक्त सर्वेक्षण उपलब्ध माल का भौतिक सत्यापन करने पर रूपये 8,25,003/– का स्टॉक कम जमा पाया गया था। व्यवहारी द्वारा उक्त कम स्टॉक को बाद सोच के आधार पर 258 नग घी जयपुर में मैसर्स गुप्ता रोड लाईन्स, जयपुर के गोदाम में पड़ा हुआ होना

लगातार.....2

बताया गया था। जिसे उचित मानकर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार कर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जबकि यह पूर्णतया अनुचित था। माल जयपुर से क्रय किया गया था तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी में ही पड़ा हुआ था। जब माल की डिलीवरी व्यवहारी द्वारा ली ही नहीं गयी तो उसका लेखा पुस्तकों में जमा खर्चे कैसे किया जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसे माल का जमा खर्च मानकर कम पाये गये स्टॉक की कमीपूर्ति जयपुर में ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम में पड़े माल से मान ली गयी। यह एक वैधानिक भूल है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए उसे उचित बताकर विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन पर रूपये 8,25,003/– का घी का स्टॉक कम पाया गया था। व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में यह जवाब पेश किया गया था कि मैसर्स श्री अन्नू मिल्क प्रोडेक्ट जयपुर से उसके द्वारा 258 नग घी क्रय किया गया था जो जयपुर में ही मैसर्स गुप्ता रोड लाईन्स, जयपुर के गोदाम में ही पड़ा हुआ था। परन्तु ई मेल से बिल प्राप्त हो जाने के कारण उसका लेखा पुस्तकों में जमा खर्च कर लिया गया था। जिसके कारण यह अन्तर आया है। यदि जयपुर में रखे हुए माल की गणना को जोड़ दिया जावे तो कोई अन्तर नहीं रह जाता है। उक्त तथ्य की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया गया। जबकि उक्त तथ्य की जांच किये जाने के बाद ही निर्णय किया जाना चाहिये था। प्रथमतः बिना बिल बिल्टी व माल प्राप्त किये लेखा पुस्तकों में जमा खर्च कैसे किया गया। उन बिल व बिल्टीयों का जमा खर्च था या नहीं तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के रिकार्ड की भी जांच आवश्यक थी। जो नहीं की गयी है। अतः उक्त के अभाव में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी व्यवहारी के जवाब को सही मानकर जो कर व शास्ति को अपास्त किया गया है वह अनुचित है अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में विक्रेता फर्म, ट्रांसपोर्ट कम्पनी व व्यवहारी की लेखा पुस्तकों की जांच कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

7. फलतः विभाग की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जांच कर पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

6-1-14

**( अमर सिंह )**
**सदस्य**